संख्या– 328 /एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–2

प्रेषक,

संजय गोयल
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी– सम्भल, महराजगंज, चित्रकूट, सीतापुर, अम्बेडकरनगर, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, कानपुर नगर, झांसी, संत कबीर नगर, फतेहपुर तथा सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग–10 **लखनऊः दिनांकः 03 मार्च, 2021**

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत हुए व्यय के लम्बित देयों के भुगतान हेतु धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के शासनादेश सं0–204/एक–11–2020–रा0–11, दिनांक 28.03.2020, एवं शासनादेश सं0–205/एक–11–2020–4(जी)/2015, दिनांक 29.03.2020 तथा इस सम्बन्ध में निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु **जनपदों द्वारा विभिन्न मदों/कार्यो में हुए व्यय के भुगतान हेतु** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 में **रू0 5,36,96,000/–** (रू0 पांच करोड़ छत्तीस लाख छानवे हजार मात्र) **की धनराशि सम्बन्धित** जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0	जनपद का नाम	मद/कार्य	आंवटित धनराशि
1	2	3	6
1	सम्भल	कम्यूनिटी किचेन आश्रय स्थल/ट्रांजिट कैम्प	71.41
2	महराजगंज	कम्यूनिटी किचेन परिवहन हेतु किराये पर व्यय/ईधन पर व्यय	62.96
3	चित्रकूट	कम्यूनिटी किचेन स्वच्छता किट/हाउसकीपिंग/टेंट आदि पर व्यय अन्य – विज्ञापन	82.52
4	सीतापुर	परिवहन हेतु किराये पर व्यय/ईधन पर व्यय	1.35
5	अम्बेडकरनगर	कम्यूनिटी किचेन/ट्रांजिट आश्रय स्थल परिवहन हेतु किराये पर व्यय ईधन पर व्यय	92.34
6	सिद्धार्थनगर	क्वरेन्टाइन सेन्टर/आश्रय स्थल ईधन	28.61
7	जौनपुर	प्र0 बसों का बकाया किराया/ईंधन तेल	23.00
8	कानपुर नगर	अस्थायी आश्रय स्थलों, क्वारेन्टाइन कैम्प व्यवस्था एवं आम रसोईघरों के देयक प्र0 बसों का बकाया किराया/ ईंधन तेल	82.03
9	झांसी	अधिग्रहित वाहनों में भराये गये ईधन के भुगतान हेतु	26.70
10	संतकबीरनगर	अधिग्रहित वाहनों में भराये गये ईधन तथा किराया भुगतान करने हेतु	41.47
11	फतेहपुर	प्रयुक्त वाहनों के ईधन पर हुए व्यय के भुगतान हेतु प्रवासी श्रमिकों को गन्तव्य तक पहुंचाने हेतु ईधन पर हुए व्यय के भुगतान हेतु	3.30

12	सोनभद्र	प्राइवेट वाहनों/बसों के किराये के भुगतान हेतु	21.27
		कुल योग	**536.96**

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या– 328 (1)/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7– सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव